अपील सूचना अधिकार संख्या 78/2021(GCMS 2021/119) (आरटीआई नं. 212386998108649) श्री राधेश्याम गोयल निवासी 23 के ब्लॉक, श्याम कुटीर, नदजीक टण्डन लेबोरेट्री, श्रीगंगानगर (पोस्टल ऑर्डर नं. 52एफ/509328) <u>बनाम</u> जिला कलक्टर कार्यालय, पंजीयन अधिकारी, श्रीगंगानगर

<u>12.04.2023</u>

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी राधेश्याम गोयल स्वयं उपस्थित नहीं हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि अपीलार्थी ने लोक सूचना अधिकारी एवं पंजीयन अधिकारी श्रीगंगानगर से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 17.06.2021 से दो बिन्दुओं की सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी ने उसे निश्चित समय सीमा में उपलब्ध नहीं करवाई है इसलिए उसने लोक सूचना अधिकारी पर शास्ति अधिरोपित करने, हर्जाना प्रार्थी को दिलवाने एवं वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने की प्रार्थना के साथ यह अपील पेश की है।

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 17.06.2021 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी एवं पंजीयन अधिकारी, श्रीगंगानगर से निम्न दो बिन्दुओं की सूचना चाही थी:

1. पंजीयन अधिनियम व स्टाम्प अधिनियम व नियमों के अन्तर्गत सहवन शब्द का उल्लेख जिस धारा व नियम में अंकित है उस धारा व नियम की सूचना व उसकी प्रमाणित प्रति।
2. लिपिकीय भूल का अंकन पंजीयन अधिनियम व स्टाम्प अधिनियम व नियम की जिस धारा व नियम में अंकित है, उस धारा व नियम की सूचना व उसकी प्रमाणित प्रति।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.06.01 13:01:49 IST
Reason: SelfAttested

पत्रावली के अवलोकन से यह पाया कि प्रभारी अधिकारी, पंजीयन, श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक रीडर/21/54 दिनांक 01.07.2022 से अपीलार्थी की मूल अपील उप पंजीयक, श्रीगंगानगर को हस्तांतरित की है और प्रथम अपील का

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

जवाब इस कार्यालय को भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया था परन्तु उनके द्वारा उक्त अपील का कोई जवाब प्रेषित नहीं किया गया है जिससे यह ज्ञात नहीं होता है कि आवेदन के प्रार्थना पत्र दिनांक 17.06.2021 द्वारा चाही गई सूचनाओं पर कोई उत्तर दिया गया है अथवा नहीं? जबकि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7 में निम्न प्रकार से प्रावधान है:

> <u>धारा 7 अनुरोध का निपटारा</u> : (1) धारा 5 की उप धारा (2)के परंतुक या धारा 6 की उप–धारा (3) के परंतुक के अधीन रहते हुए, धारा 6 के अधीन अनुरोध के प्राप्त होने पर यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी, या राज्य लोक सूचना अधिकारी यथा संभव शीघ्रता से और किसी भी दशा में अनुरोध की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर ऐसी फीस के संदाय पर जो विहित की जाए, या तो सूचना उपलब्ध कराएगा या धारा 8 और धारा 9 में विर्निदिष्ट कारणों में से किसी कारण से अनुरोध को अस्वीकार करेगा।
>
> परन्तु जहां मांगी गई जानकारी का संबंध किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से है, वहां वह अनुरोध प्राप्त होने के अड़तालीस घंटे के भीतर उपलब्ध कराई जाएगी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.06.01 13:01:49 IST
Reason: SelfAttested

चूंकि लोक सूचना अधिकारी [illegible] प्रार्थी के धारा 6(3) के प्रार्थना पत्र पर कोई सूचना दिये [illegible] सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं लिया है जबकि धारा 7(1) के तहत [illegible]0 दिवस में निर्णय लिया जाना आवश्यक हैं, इसलिए प्रार्थी की अपील आंशिक रूप से स्वीकार करने योग्य है।

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है और लोक सूचना अधिकारी एवं उपपंजीयक, श्रीगंगानगर को मामला इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित(Remand) किया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनाओं के सम्बन्ध में आदेश प्राप्ति के 07 दिवस में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत निर्णय किया जावे। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं उप पंजीयक, श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे एवं अपीलार्थी को भी सूचनार्थ निर्णय की प्रति भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब़ तकम़ील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 12.04.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सौरभ स्वामी)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.06.01 13:01:49 IST
Reason: SelfAttested